अनुदान संख्या 14 – उपभोक्ता मामले विभाग
GRANT No. 14 - DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	2505,60,00			
			12264,72,00	11355,49,21	-909,22,79
पूरक	Supplementary	9759,12,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				672,49,92
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		55,40,00	33,37,27	-22,02,73
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				22,05,95

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	21330.00			
पू.	S.	97735.00	0.41	..	-0.41
पु.	R.	- 119064.59			

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3456"	Major Head "3456"				
नागरिक पूर्ति	Civil Supplies				
मू.	O.	218325.00			
पू.	S.	878177.00	1149698.13	1125978.92	-23719.21
पु.	R.	53196.13			

(I) ₹119065.00 लाख का प्रावधान (₹97735.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹118485.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" – "नागरिक पूर्ति – निदेशन और प्रशासन" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹119065.00 lakhs (including supplementary grant of ₹97735.00 lakhs) remained wholly unutilized under eight heads; of these ₹118485.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - "Civil Supplies - Direction and Administration" - under the following heads:-

(का) "उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ" – ₹750.00 लाख; और

(A) "Consumer Protection Cell" - ₹750.00 lakhs; and

(खा) "मूल्य स्थिरीकरण निधि" – ₹117735.00 लाख (₹97735.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)।

(B) "Price Stabilization Fund" - ₹117735.00 lakhs (including supplementary grant of ₹97735.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "3456" – "निदेशन और प्रशासन" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(II) Under Major Head "3456" - "Direction and Administration" - savings occurred under the following heads:-

(का) "उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ" – ₹1177.83 लाख की बचत (₹8489.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने, बहुत से राज्यों द्वारा पीएफएमएस के ईएटी मॉड्यूल का पंजीकरण/मैपिंग न किए

(A) "Consumer Protection Cell" - saving of ₹1177.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8489.50 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates, non-registering/mapping in the EAT

जाने तथा दूरदर्शन, ऑल इडिया रेडियो और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को अग्रिम भुगतान जारी न किए जाने के कारण हुई।

(खा) "उपभोक्ता कल्याण निधि के तहत परियोजनाएं" – ₹23807.99 लाख की बचत (₹26100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी की वजह से उपभोक्ता कार्यकलापों का आयोजन न किए जाने के कारण हुई।

(III) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹1581.41 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक थीं।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹55353.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "3456" – "निदेशन और प्रशासन – मूल्य स्थिरीकरण निधि" के अंतर्गत फरवरी, 2021 में ₹375912.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, अभ्यर्पित की गई राशि (₹2205.95 लाख) ₹2202.73 लाख की कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआः–

module of PFMS by many States and non-release of advance payment to Doordarshan, All India Radio and National Film Development Corporation of India.

(B) "Projects under Consumer Welfare Fund" - saving of ₹23807.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹26100.00 lakhs) was due to non-organising consumer activities owing to COVID-19 pandemic.

(III) Under four heads savings of ₹1581.41 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 11 percent to 80 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (₹55353.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹375912.00 lakhs in February, 2021 under Major Head "3456" - "Direction and Administration - Price Stabilization Fund".

3. In the capital section of the grant, the amount surrendered (₹2205.95 lakhs) exceeded the overall savings of ₹2202.73 lakhs.

Savings/excess occurred under the following major head:-

शीर्ष / Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5475" / Major Head "5475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय / Capital Outlay on Other General Economic Services				
मू.	O. 4000.00			
		2877.92	2877.99	+0.07
पु.	R. -1122.08			

(I) ₹750.00 लाख का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "5475" – "नागरिक पूर्ति – क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाएं" – ₹981.62 लाख की बचत (₹1550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹876.72 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 45 प्रतिशत से 83 प्रतिशत थीं।

4. उपर्युक्त बचतें एक शीर्ष के अंतर्गत ₹405.61 लाख के अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं जो स्वीकृत प्रावधान का 23 प्रतिशत थीं।

5. *उपभोक्ता कल्याण निधिः–*

उपभोक्ता कल्याण निधि की स्थापना केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) में संशोधन करके 1991 में की गई थी ताकि उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए निधियों का उपयोग बने हुए नियमों के अनुसार किया जा सके। वह धनराशि जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत विनिर्माताओं को लौटाए जाने योग्य नहीं होती, उसे इस निधि में जमा कर दिया जाता है।

उपभोक्ता कल्याण निधि नियम 25 नवबंर, 1992 को अधिसूचित किए गए थे। तत्पश्चात, 27 जनवरी, 1994 को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की सिफारिश पर इनमें और संशोधन करके इनमें और संशोधन करके इन नियमों को और व्यापाक बनाया गया। इन नियमों के बाद में 16.06.94, 16.01.95 और 13.06.2002 को भी संशोधन किए गए। इस निधि की स्थापना राजस्व विभाग द्वारा की गई परंतु उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देने और संरक्षण प्रदान करने तथा देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, स्वैच्छिक उपभोक्ता आंदोलन को सृदृढ़ बनाने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इसे उपभोक्ता मामले, वाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है।

(I) Provision of ₹750.00 lakhs remained wholly unutilized under five heads.

(II) Under Major Head "5475" - "Civil Supplies - Regional Reference Standard Laboratories" - saving of ₹981.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1550.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) Under two heads savings of ₹876.72 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 45 percent and 83 percent of the sanctioned provision.

4. The above savings were partly offset by an excess of ₹405.61 lakhs under one head constituting 23 percent of the sanctioned provision.

5. *Consumer Welfare Fund:-*

Consumer Welfare Fund was constituted in 1991 by amending Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944) for utilising the funds for welfare of the consumers in accordance with the rules framed. Money which is not refundable to the manufacturers under the Central Excise Act is credited to the fund.

Consumer Welfare Fund rules were notified on 25th November, 1992. Subsequently on the recommendations of the Central Consumer Protection Council, the rules were further amended on 27th January, 1994 to make it more broad based. Subsequent modifications to the rules took place on 16.06.94, 16.01.95 and 13.06.2002. Fund has been set up by Department of Revenue but is operated by Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution for providing financial assistance to promote and protect the welfare of consumers and strengthen the voluntary consumer movement in the country particularly in the rural areas.

वर्ष 2020–21 के लिए निधि का लेखा निम्नानुसार था:–

The Account of the Fund for 2020-21 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	478,07,57
प्राप्तियां	Receipts	-90,61,20
अदायगियां	Payments	22,92,01
अंत शेष	Closing Balance	364,54,36